

## राजस्थान उच्च न्यायालय

## जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1233/2024

मेसर्स जैको गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी, 609 सिंगापुर बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, चीरा बाजार, वाडिया फायर टैंपल के सामने, मुंबई 400002, स्थानीय शाखा जैको गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी, एयरो ड्रम रोड, कोटा श्री विनोद कुमार सिन्हा, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

## बनाम

1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 3, मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता - 700071 क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर और मंडल कार्यालय, झालावाड़ रोड कोटा इसके अटॉर्नी धारक श्री योगेश कुमार खीची के माध्यम से।

2. मेसर्स श्री राम रेयंस, डी.सी.एम. की इकाई, श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री राम नगर, कोटा।

(दिनांक 14.10.16 के आदेश द्वारा हटाया गया)

---- उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री सतीश चंद्र मित्तल

उत्तरदाता (ओं) के लिए :

## माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेशअवनीश झिंगन, जे. (मौखिक):-27/02/2024

1. यह याचिका 27 सितंबर, 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके तहत उत्तरदाता-वादी द्वारा नए सिरे से मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमा वापस लेने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दी गई थी।

2. प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक ट्रांसपोर्टर है और प्रतिवादी संख्या 2/ उत्तरदाता संख्या 2 (संक्षिप्त में 'दावेदार') ने याचिकाकर्ता के माध्यम से माल का परिवहन किया। दावेदार ने प्रतिवादी संख्या 1/ उत्तरदाता संख्या 1 (जिसे आगे 'बीमाकर्ता' कहा जाएगा) से मरीन ओपन पॉलिसी प्राप्त की। परिवहन के दौरान माल क्षतिग्रस्त हो गया। दावेदार द्वारा किए गए दावे को मंजूरी दे दी गई और दावेदार ने बीमाकर्ता के पक्ष में अपना अधिकार समर्पित करते हुए विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की। बीमाकर्ता ने 09 दिसंबर, 2012 को दावेदार को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में खड़ा करते हुए एक मुकदमा दायर किया। 30 जनवरी, 2020 को एक आवेदन दायर किया गया कि तकनीकी दोषों को दूर करने के लिए, मुकदमे को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी जाए। आवेदन को आरोपित आदेश द्वारा अनुमति दी

गई और मोबाईल को 10,000/- रुपये की लागत के भुगतान के अधीन, मुकदमे को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी गई। इसलिए, वर्तमान याचिका।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क निराधार है। वादी द्वारा तकनीकी त्रुटि पाए जाने के कारण वाद वापस ले लिया गया और नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता मांगी गई। सिविल न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आवेदन स्वीकार कर लिया और 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।

5. आर्थिक परिवहन संगठन, दिल्ली (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भरता से कोई फायदा नहीं है। आर्थिक परिवहन संगठन, दिल्ली (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ओबेराय फॉरवर्डिंग एजेंसी बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2000) 2 एससीसी 407 में रिपोर्ट किए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहा था। आर्थिक परिवहन संगठन, दिल्ली (सुप्रा) के पैरा संख्या 7 में, ओबेराय फॉरवर्डिंग एजेंसी (सुप्रा) में तय किए गए मुद्दे पर ध्यान दिया गया था: -

“7. इस मामले में 27.9.1999 को अनुमति दिए जाने के बाद, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 1.2.2000 को ओबेराय फॉरवर्डिंग एजेंसी में अपना निर्णय सुनाया, जिसमें 'असाइनमेंट' और 'सब्रोगेशन' के बीच अंतर किया गया। इस न्यायालय ने माना कि जहां नुकसान के भुगतान और बीमित व्यक्ति के दावे के निपटारे के कारण बीमाकर्ता के पक्ष में एक सब्रोगेशन सरलता से होता है, बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति के नाम पर उपभोक्ता फोरम में मुकदमा चला सकता है, जो प्रेषक के रूप में एक उपभोक्ता था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि जब बीमाकर्ता के पक्ष में बीमित व्यक्ति के अधिकारों का असाइनमेंट होता है, तो समनुदेशिती के रूप में बीमाकर्ता अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि वह अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' नहीं था। इस न्यायालय ने माना कि भले ही बीमित व्यक्ति सह-शिकायतकर्ता हो,

ओबेराय फॉरवर्डिंग एजेंसी (सुप्रा) में निर्धारित कानून की सत्यता के संबंध में ए से सी तक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए संवैधानिक पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया:-

“51. इसलिए हम उठाए गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

(क) बीमाकर्ता, उपरोगी के रूप में, सेवा प्रदाता से देय राशि की वसूली के लिए, बीमित व्यक्ति (उसके अटॉर्नी धारक के रूप में) के नाम से या बीमित व्यक्ति और बीमाकर्ता के संयुक्त नाम से अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकता है। बीमाकर्ता, बीमित व्यक्ति से गलत कार्य करने वाले (सेवा प्रदाता) के विरुद्ध मुकदमा करने का अनुरोध भी कर सकता है।

ख) यदि बीमाकर्ता के पक्ष में बीमित व्यक्ति द्वारा निष्पादित प्रत्यायोजन पत्र में प्रत्यायोजन के शब्दों के अतिरिक्त समनुदेशन के कोई शब्द भी शामिल हों, तो भी शिकायत तब तक कायम रहेगी जब तक शिकायत बीमित व्यक्ति के नाम पर हो तथा बीमाकर्ता को शिकायत में केवल बीमित व्यक्ति के अटॉर्नी धारक या प्रत्यायोजक के रूप में दर्शाया गया हो।

(ग) बीमाकर्ता अपने नाम से अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत नहीं कर सकता, भले ही उसका अधिकार बीमित व्यक्ति द्वारा

निष्पादित प्रतिस्थापन-सह-असाइनमेंट पत्र की शर्तों से जुड़ा हो।

(घ) ओबेराय का निर्णय उचित नहीं है क्योंकि यह प्रत्यायोजन-सह-हस्तांतरण पत्र को शुद्ध और सरल हस्तांतरण मानता है। लेकिन जहाँ तक यह निर्णय है कि अकेले बीमाकर्ता अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता, यह निर्णय सही है।

6. चौथा प्रश्न वाहक अधिनियम, 1865 की धारा 9 के अंतर्गत उपधारणा से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला बीमाकर्ता द्वारा उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने से संबंधित था। वर्तमान मामले में, तकनीकी दोष को दूर करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा दायर दीवानी वाद वापस ले लिया गया था।

7. जी. अचन्ना (सुप्रा) मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता। उस मामले में, वापसी के आवेदन में कारण यह बताया गया था कि मुकदमा हारने की संभावना है, इसलिए वापसी की अनुमति मांगी गई थी, जबकि वर्तमान मामले में, तकनीकी दोष दूर करने के लिए मुकदमा वापस लिया गया था।

8. इस न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए दिए गए आदेश में कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है।

9. याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

प्रीति आसोपा/62

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

**Tarun Mehra**

**Advocate**